

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

दिनांक	फर्द अहकाम	
21/14	तारीख रजु 10.3.14	
उपनाम - विभाग बनाम मिश्रा वगैरे यावा बाबत घोषणा स्वतन्त्रता स्थायी निवेधाना - धारा 88, 188, वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा Adv ने दावा बाबत घोषणा स्वतन्त्रता स्थायी निवेधाना पेश किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रिजिस्ट्रार कर जिला को सम्मन से तलब कर पनावली दि 17.4.14 को पेश हो। उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (कौली)		
17/4	वादी वकील उप। प्रतिवादी गण वज्रद तमील उप. नरी व 8-0-14 मुम्बई में है विले डिग्री आदेश दिनांक 28.5.14 को पेश हो।	505-12 12-3-14
28/4	वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1, 3 व 7 की ओर से श्री सुनील कुमार जितल Adv ने प्रीमो पेश का आगामी सुनवाई लिखी पत्र वकालतनामा पेश करने का निवेदन किया। प्रतिवादी नं. 2 व 8 वज्रद सूचना उपस्थित नहीं है अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ के आदेश पारित किए गए हैं। विले वकालतनामा वज्रद दिनांक 7.7.14 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 3

फर्द अहकाम

3/16 वकुलाय उपजिला / साक्ष्य वादी पेश
कले के सिद्ध समप चाहा /
दिया जाकर बाईन्डा दिनांक 29-3-16
को पेश हो

3/3/16 वकुलाय उपजिला / वादी वकीलने साक्ष्य पेश
कोन पुनः समप चाहा / पयसि अवसर में
दिचे जा चुके हैं वादी वकील को सूचित
कतेले हुए एक अवसर और दिया जाता है
वाले साक्ष्य वादी दिनांक 21-4-16 को पेश हो

4/4/16 वादी वकील उपस्थित / वादी वकीलने साक्ष्य
पेश नहीं करवा कर वादी साक्ष्य बंद कराई /
वासे बहस दिनांक 6-5-16 को पेश हो

5/11 वादी वकील उपजिला / बहस हेतु समप चाहा /
वाले बहस केंद्र कुहावल में दिनांक 17-6-16
को पेश हो

6/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत याच
आपके द्वारे केंद्र की कुहावल में पेश

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
11/11/11	हुई/वादी एवं वादी वकील उपस्थित। वादी ने कथन दिया कि प्रतिवादी जो कि वादी का पिता है जमीन को विवृण करना चाहता है इसलिए उनके जमीन नहीं देने के लिए पाबंद कर दिया जो कि वादी वकील ने भी जमीन की घोषणा नहीं करा कि वादी के दाखिल हिस्से तक की भूमि को विवृण नहीं देने के लिए प्रतिवादी को पाबंद कर दिया जो कि वादी एवं वादी वकील की सहमति पर मान्य किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र में वर्णित आराजीपात प्रतिवादी नं. 1 व 2 की खतेदारी की एवं विराहल की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी नं. पुत्र एवं पिता हैं। वादी भी घोषणा खतेदारी नहीं चाहते हुए वादी के दाईं वर्ष हिस्से तक रहन वसने नहीं देने हेतु प्रतिवादी को पाबंद करना चाहते हैं। अतः घोषणा खतेदारी के विषय को स्वीकार नहीं करा जाय निवेदन के बिना यह उपाय अनिर्णित किया जा रहा है।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 4

फर्द अहकाम

वादी का दावा साबिक रिफार्म मिलान क्षेत्रफल एवं हालत जमाबंदी अनुसार बार्डवर्क हिस्सा साबित होता है।

अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेध द्वारा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बार्डवर्क हिस्सा तक गम फतेहपुर तहसील टोडाभीम की भूमि ख.नं. 158/545, 164/544, 209, 210, 213, 86, 809/85, 170, 171, 172, 173, 211, 214/2, 37, 89/541, 90, 91, 142, 143, 145, 145/537, 158, 167, 205, 271, 92, 178, 362, 202, 203, 204, 206, 164, 272, 266, 273 में रहन, बिक्रय नही करे तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजामहत, मदारबलत नही करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफ्तर हो। तहसील टोडाभीम को निषेध की प्रति भिजवाई जावे।
निर्णय आज दिनांक 17.6.16 को न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)